



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 15, 2022 (PHALGUNA 24, 1943 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2022

संख्या 1/51/2021-1टी०सी०पी०.— पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची-1 वर्णित क्षेत्रों में पड़ने वाले क्षेत्र और अनुसूची-1A में यथा विनिर्दिष्ट पंचकुला जिला में नियमित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले और इससे संलग्न नक्शा में दर्शाए गए क्षेत्र को उक्त धारा के प्रायोजनों के लिए पंचकुला महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं; अर्थात्:-

अनुसूची-1

(क) पंचकुला महानगर क्षेत्र में नीचे अनुसूची-1A में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्र शामिल होगा ।

- i. पंचकुला के अंतरिम संशोधित मास्टर प्लान में शामिल सभी क्षेत्र, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 55/86 दिनांक 04.12.86;
- ii. पंचकुला विस्तार-1 की संशोधित विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 1127/09, दिनांक 08.09.2009, हरियाणा सरकार, अधिसूचना दिनांक 08 सितम्बर, 2009;
- iii. 2025 ईस्वी तक पिंजौर कालका शहरी परिसर की विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 910/2005, दिनांक 18.03.2005, हरियाणा सरकार, अधिसूचना दिनांक 21.03.1972;
- iv. 2031 ईस्वी तक पिंजौर कालका शहरी परिसर की विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 1288/14, दिनांक 03.03.2014, हरियाणा सरकार, अधिसूचना दिनांक 03.07.2014 और दिनांक 29.12.2016 तथा 24.01.2018 द्वारा आगे संशोधित;
- v. 2021 ईस्वी अंतिम विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र गांव अलीपुर, जिला पंचकुला में औद्योगिक सम्पदा के एच.एस.आई.आई.डी.सी., की विद्यमान सीमा के आसपास के नियंत्रित क्षेत्र हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 1253/2013, दिनांक 08.01.2013, अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर) एफडीपी/(पीकेएल-1A/ एपीआर) 2013/147, दिनांक 11.01.2013 और 29.11.2016 तथा 10.05.2018 द्वारा आगे संशोधित;

- vi. श्री माता मनसा देवी शहरी परिसर विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 861/04, दिनांक 12.03.2004, हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अधीन अधिसूचित संख्या अशा0 संख्या सीटीपीपीए-678, दिनांक 06.04.2004;
- vii. 2021 ईस्वी कोट बेहला शहरी परिसर की विकास योजना में शामिल सभी क्षेत्र ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी) 1271/2013, दिनांक 17.07.2018, और आगे संशोधित हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2018 के अधीन अधिसूचित।

अनुसूची-II

(ख) पंचकुला महानगर क्षेत्र में निम्नलिखित अधिसूचना का निर्माण करते हुए सभी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र शामिल होगा:

- i पंचकुला परिधि के आसपास के सभी नियंत्रित क्षेत्र को हरियाणा गजट अधिसूचना संख्या 2415-IV डीपी-72/1329, दिनांक 21.03.1972 के माध्यम से अधिसूचित किए गए गांवों की राजस्व सम्पदा के भीतर, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है;
1. कर्णपुर
 2. खोललबेला
 3. रामनगर
 4. नानकपुर
 5. रामपुर जंगी
 6. कोणा
 7. लेहरोंडी
 8. मढा वाला
 9. सीतोमाजरा
 10. गोरखनाथ
 11. नवानगर
 12. शाहपुर
 13. खोल मोला
 14. खोखरा
 15. खोल फतेह सिंह
 16. प्रेम पुरा
 17. राम पुरी सूरी
 18. ताइकुआना
 19. राजीपुर
 20. सूरजपुर
 21. मोहब्बतपुर
 22. मिल्क
 23. बाघलाना
 24. पिंजौर
 25. देवाल
 26. अब्दुल पुर
 27. रतपुर
 28. फिरोजपुर
 29. मानकपुर देवीलाल
 30. मानकपुर नानक चन्द
 31. मानकपुर ठाकुर दास
 32. लोहगढ़

33. धमाला
34. मजरी जाटान
35. खेड़ावाली
36. बिसावल
37. गारियां
38. किरतपुर
39. चरनियां
40. जोहलुवाल
41. खेहावाली
42. बनोखुदाबक्श
43. बनो शाहवालिया
44. नागल रूटाल
45. थाने केसर
46. बर
47. पैरागियन
48. कंडीयाल
49. नगल भाग
50. पपलोहा
51. माजरा मेहताब
52. टगरा कगन
53. टगरा साहू
54. टगरा हसूआ
55. टगरा हरि सिंह
56. टगरा काली राम
57. कांगूवाला
58. औरियान
59. खेडा सीता राम
60. भैरों केसर
61. टगरा हकीमपुर
62. बसदेव पुरा
63. धर्मपुर
64. बिटना
65. दमदमा
66. भवाना
67. जैथल
68. टिपरा
69. नोल्टा
70. तोरन
71. धतो गरान
72. काजिआना
73. जनौली
74. नाला डाकरोग
75. नाला दामेहर

76. नाला बलोग
77. जबरोट
78. कोही
79. बेघरनी
80. धाकरोग
81. घवाई
82. धामशू
83. टिब्बी
84. बीरघुटी
85. मल्ला
86. नंदपुर
87. कीदर पुर
88. मलपुर
89. संदासपुर
90. जल्ला
91. बांसघाटी
92. फतेहपुर अलिआस देवनवाला
93. हरिपुर (हरि सिंह)
94. खारकुआ
95. देहरा गुरु
96. चिक्कन
97. जोधपुर
98. हरिपुर चापेहर
99. गणेश पुर भोरियां
100. पाटटन
101. भोगपुर
102. नगल सोढियां
103. ईस्लाम नगर
104. भगवान पुर
105. मीरा पुर बख्शी वाला
106. रायपुर
107. कोटियान
108. गुमथला
109. चौंकी
110. नाडा
111. कुंडी
112. बीड़फिरोजरी
113. बीड़बाबूपुर
114. फतेहपुर
115. महेशपुर
116. रैली
117. अभयपुर
118. बुढनपुर

119. सकेतड़ी
 120. भैंसा टीब्बा
 121. ब्लासपुर
 122. जुडियान
 123. कुरारी
 124. ढिल्लन
 125. धामसू
 126. मदनपुर
 127. हरिपुर
 128. देवीनगर
 129. माजरी
 130. फिरोजपुर कलां
 131. फिरोजपुर खुर्द
 132. खरक मंगोली
 133. सूरज पुर
 134. दारा खारोनी
 135. चंडी मंदिर
 136. बीड़ घग्गर
 137. कालका
 138. ओरियां
 139. किरतपुर
 140. बसावा
 141. खेड़ा
 142. कुरानवाला
 143. मानकपुर खोलगामा
- (ii) एच.एस.आई.आई.डी.सी. औद्योगिक सम्पदा, अलीपुर कि विद्यमान सीमा के आसपास के सभी नियंत्रित क्षेत्र को हरियाणा गजट अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर)/2002/पीसीए-II/1422, दिनांक 11-07-2002 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, ग्राम अलीपुर, जिला पंचकुला में औद्योगिक की विद्यमान सीमा के आसपास नियंत्रित क्षेत्र के लिए सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डीटीपी (पी) 726/2002, दिनांक 6 मई, 2002 के साथ पढ़ा जाए:
- उत्तर:-** बिन्दु 'ए' से शुरू करते हुए, जो गांव खंगेसरा (हदबस्त संख्या 240) की आयत संख्या 10 की उत्तरी सीमा का मिलन बिन्दु है, गांव खंगेसरा (हदबस्त संख्या 240) की राजस्व सीमा और चंडीगढ़ परिधि नियंत्रित क्षेत्र की सीमा, वहां से गांव खंगेसरा (हदबस्त संख्या 240) के आयत संख्या 10, 11, 12 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'बी' तक जहां गांव खंगेसरा (हदबस्त संख्या 240) तत्पश्चात दक्षिण की ओर उसी गांव के आयत संख्या 12, 18 और 26 की पूर्वी सीमा बिन्दु 'सी' तक जहाँ यह खंगेसरा रायपुर रानी सड़क की उत्तरी सीमा से मिलती है, तत्पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर खंगेसरा रायपुर रानी सड़क की उत्तरी सीमा साथ बिन्दु 'डी' तक, जहां यह गांव टोका (हदबस्त संख्या 1) के आयत संख्या 21 की पूर्वी सीमा से मिलता है ।
- पूर्व:-** बिन्दु 'डी' से दक्षिण की ओर आयत संख्या की पूर्वी सीमा के साथ गांव खंगेसरा रायपुर रानी सड़क को पार करते हुए 21 ग्राम टोका (हदबस्त संख्या 1) आयत संख्या 9, 13, 24 (क्रॉसिंग बरसाती टोका नदी) और गांव सुखदर्शनपुर (हदबस्त संख्या 1) और 27 गांव सुखदर्शनपुर (हदबस्त संख्या 3) बिन्दु 'ई' तक अर्थात् गांव खतौली (हदबस्त संख्या 3) के आयत संख्या 16 का दक्षिणी पूर्वी कोना है। तत्पश्चात पश्चिम की ओर उसी गांव के आयत संख्या 16 की दक्षिण सीमा के साथ बिन्दु 'आई' तक जहां उसी गांव के आयत संख्या 16 के दक्षिण पश्चिम कोने तक। वहाँ से दक्षिण की ओर आयत संख्या 25, 30, 39 और 45 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव खतौली (हदबस्त संख्या 3) बिन्दु 'जी' तक आयत अर्थात् उसी गांव के आयत संख्या 45 के दक्षिण पूर्व कोने तक ।

दक्षिण:- वहाँ से गांव खतौली (हदबस्त संख्या 3) के आयत संख्या 45, 43 और 42 की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर, आयत संख्या 39, 38 (बरसाती टोका नदी को पार करते हुए) 37 और 36 गांव जलौली (हदबस्त संख्या 240)) के दक्षिण पश्चिम कोने में।

पश्चिम:- वहाँ से उत्तर की ओर गांव जलौली (हदबस्त संख्या 240) के आयत संख्या 10, 6 और 2 की पश्चिम सीमा के साथ और गांव नगल (हदबस्त संख्या 238) के आयत संख्या 21 से 18 तक उसी बिन्दु तक जहाँ यह चंडीगढ़ से मिलता है परिधि नियंत्रित क्षेत्र की सीमा। वहाँ से उत्तर पूर्व की ओर चण्डीगढ़ परिधि नियंत्रित क्षेत्र की सीमा तक बिन्दु 'आई' अर्थात् आरम्भ बिन्दु तक।

(iii) हरियाणा गजट अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर) पीकेएल/बीडब्ल्यूएल (सीए)/2007/2392, दिनांक 22.06.2007 द्वारा अधिसूचित बरवाला के सभी नियंत्रित क्षेत्र; जिला पंचकुला में बरवाला के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीटीपी (पी) 1018/07, दिनांक 8 मई, 2007 के साथ पढ़ा जाये, जो इस प्रकार है:

उत्तर:- बिन्दु 'ए' अर्थात् जिला पटियाला, पंजाब और गांव कामी (हदबस्त संख्या 243) के गांव निंबुआ, रामपुर सैनीया की राजस्व सीमा का ट्रांजक्शन बिन्दु से शुरू होकर, वहाँ से पूर्व की ओर गांव कामी (हदबस्त संख्या 243) की राजस्व सीमा के साथ बिन्दु 'बी' तक अर्थात् गांव निंबुआ जिला पटियाला, पंजाब की राजस्व सीमा का मिलन बिन्दु, गांव बीड बाबूपुर (हदबस्त संख्या 365) और गांव कामी (हदबस्त संख्या 243), वहाँ पहले से ही घोषित परिधि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा के साथ हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 2415-IV-डी.पी.72/1329] दिनांक 21 मार्च, 1972 तक घोषित किया गया था। बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव बीड बाबूपुर (हदबस्त संख्या 365) गांव जलौली (हदबस्त संख्या 240) तथा गांव नगल (हदबस्त संख्या 239) की राजस्व सीमा का मिलान स्थल, वहाँ से गांव जलौली (हदबस्त संख्या 240) की राजस्व सीमा के साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव जलौली (हदबस्त संख्या 240) के आयत संख्या 3 के उत्तर-पूर्वी कोने से नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ विद्यमान हरियाणा राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिकी विकास निगम, अलीपुर की सीमा से पहले हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर)/2002/पीसीए-II/1422, दिनांक 11 जुलाई, 2002 से बिन्दु 'ई' तक घोषित की जा चुकी है। गांव खतौली (हदबस्त संख्या 3) के आयत संख्या 54 उत्तर पूर्वी कोना।

पूर्व:- बिन्दु 'ई' से शुरू होकर दक्षिण की ओर आयत संख्या की पूर्वी सीमा के साथ गांव खतौली के 54, 61, 72, तथा 87 (हदबस्त संख्या 3), आयत संख्या 19, 23, 29, 33, 37 तथा 38 गांव रेहवार (हदबस्त संख्या 249), आयत संख्या गांव बतौड़ (हदबस्त संख्या 247) के 25, 40, 43 तथा 61, आयत संख्या 17, 18, 27 एवं 28 गांव तबरा (हदबस्त संख्या 15) और आयत संख्या 11, 15 और 30 गांव मौली (हदबस्त संख्या 16) बिन्दु 'एफ' तक अर्थात् आयत संख्या 30 के दक्षिण पूर्वी कोने तक गांव मौली (हदबस्त संख्या 16)।

दक्षिण:- बिन्दु 'एफ' से शुरू होकर पश्चिम की ओर दक्षिण सीमा के साथ-साथ आयत संख्या 30, 31 और 32 गांव मौली (हदबस्त संख्या 16) आयत संख्या 96, 97 तथा 98 गांव भगवानपुर (हदबस्त संख्या 248) तथा आयत संख्या 43, 44, 45, 46 और 47 गांव भरेली (हदबस्त संख्या 249) के बिन्दु 'जी' तक जहाँ यह पंजाब की राज्य सीमा से मिलता है।

पश्चिम:- बिन्दु 'जी' से शुरू होकर उत्तर की ओर पंजाब की राज्य सीमा के साथ बिन्दु 'ए' तक अर्थात् प्रारम्भ बिन्दु तक।

- (ग) नगर निगम, पंचकुला के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र;
- (घ) नगर परिषद, कालका के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र;
- (ङ) नगर परिषद, पिंजौर के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र।

देवेन्द्र सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग।